न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–119/2020

1. हरविन्द्रकौर पत्नी साधू सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 के.वाई.एम. तह0खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. मोहनराम पुत्र लिछमणराम जाति ब्राह्मण निवासी भादासर तहः सरदारशहर जिला चुरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 विद्वान अधिवक्ता श्री मनीराम जाखड़ प्रार्थीया की ओर से।
2 विद्वान अधिवक्ता श्री रफीकशाह वगैरह अप्रार्थीगण की ओर से।
3 पैरोकारराज उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– **दिनांक :19.12.2022**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया की खातेदारी वाके चक 1 के.वाई.एम. 'ए' के मु0न0 17/48 के किला नं. 12 में 1 बीघा, 18 में 10 बिस्वा, 24 में 15 बिस्वा इस प्रकार कुल 2.15 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज कागजात है। जिस पर प्रार्थिया सपरिवार लम्बे अर्से से लेकर आज तक काबिज काश्त है तथा सरसों व चना की फसल काश्त कर रखी है। चक 1 के.वाई.एम. 'ए' के मु0न0 17/40 के किला नं. 21 ता 25 में कटानशुदा रास्ता दर्ज कागजात है परन्तु प्रार्थीया को अपने खेत में प्रवेश करने के लिये कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया को अपने खेत में प्रवेश हेतु मु0 न0 17/48 के किला नं. 21 ता 23 के सींव पर 0.2–0.2 बिश्वा प्रत्येक बीघा में पूर्व से पश्चिम की ओर रास्ता की आवश्यकता है, इसके अलावा अन्य कोई आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थीया के पास नहीं है। मु0न0 17/48 के किला नं. 21 ता 23 अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है जो अक्सर राजनीति वश रास्ते को लेकर झगड़ा करते है जिससे वहां तनाव की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि रास्ता मंजूर शुदा नहीं है इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। यही सुविधाजनक और सबसे नजदीक है। प्रार्थीया किला नं. 21 ता 23 से अपने किला नं. 24 में प्रवेश कर सकती है तथा आवश्यकता आत्यंतिक है फसल काश्त का समय है यदि अप्रार्थी ने रास्ता नहीं दिया तो प्रार्थीया अपने खेत में आने–जाने से वंचित हो जायेगी और प्रार्थीया की कृषि भूमि बिना काश्त के बंजड़ हो जायेगी। प्रार्थीया धारा 251'ए' के तहत वर्तमान डी.एल.सी. दर से 0.6 बिस्वा भूमि की कीमत देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 1 के.वाई. एम. 'ए' के मु0न0 17/48 के किला नं. 21 ता 23 के सींव पर 0.2–0.2 बिश्वा कुल 0.6 बिस्वा पूर्व से पश्चिम रास्ता खेत स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को तामिल होने के बाद अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जिसके अनुसार चक 1 के.वाई.एम. 'ए' के मु0न0 17/48 के किला नं. 11,19 ता 23 तादादी 6 बीघा कमाण्ड भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज कागजात है तथा अप्रार्थी की मौके पर सरसों की फसल खडी है और एक काश्तकार के भूमि से बढ़कर दूसरा कोई साधन जीविकोपार्जन के लिए नहीं है। प्रार्थीया ने धारा 251 ए आरटीएक्ट का पेश किया है जबकि विकल्प में प्रार्थीया को मु0नं0 18/49 जो कि प्रार्थीया के पति के नाम है तथा मौके पर रास्ता है इसके अलावा केवाईएम माइनर के पास पास पटड़े पर रास्ता उपलब्ध है जिससे वर्षो से प्रार्थीया आवाजाही कर रही है, आवश्यकता आत्यंतिक नहीं है। इसके इलावा किला नं0

1,2,9 से भी आवाजाही कर रही है। महज अप्रार्थी को परेशान करने की नीयत से प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थीया व उसका पति साधूसिंह दबंग व्यक्ति है। प्रार्थनापत्र की आड़ में भूमि हड़पना चाहते है जिसे रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थी काश्तकार है और एक किसान के लिए भूमि के बदले भूमि के विकल्प से बढ़कर कोई कीमत नहीं है।
प्रार्थीया केवल कीमत देने की बात प्रार्थनापत्र पर कर रही है जा कतई स्वीकार नहीं है। प्रार्थनापत्र स्वच्छ हाथो से नहीं पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण एवं प्रार्थीया को वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध होने के कारण एवं भूमि के बदले भूमि नहीं देने के कारण खारिज करने के आदेश फरमावें।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/रीडर/2022/744 दिनांक 07.11.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा नहर के पटड़े से होकर अपने खेत में पहुँचने के लिए रास्ता उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मु0नं0 17/48 के किला नं0 21 ता 23 में 2 बिस्वा कटान मार्ग चाहा गया है। मुताबिक मौका स्थिति मु0नं0 17/40 के किला नं0 21 ता 25 में 2 बिस्वा प्रत्येक में कटानशुदा मार्ग जो वर्तमान में चालू है एवं उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त कटानशुदा मार्ग से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है चूंकि प्रार्थी को कोई कटानशुदा रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। अतः मु0नं0 17/48 के किला नं0 21 ता 23 में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रकबा निकटतम होगा। बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे भूमि के बदले भूमि नहीं देने के कारण खारिज करने के आदेश फरमावें।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में की गई रिपोर्ट और प्रार्थनापत्र व जवाब प्रार्थनापत्र का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट और पत्रावली पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि चक 1 केवाईएम ए मु0नं0 17/48 के किला नं0 21 ता 23 प्रत्येक में 2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थीया का कहना है कि वर्तमान में अपनी कृषि भूमि चक 1 के.वाई.एम. 'ए' के मु0न0 17/48 के किला नं. 12 में 1 बीघा, 18 में 10 बिस्वा, 24 में 15 बिस्वा इस प्रकार कुल 2.15 बीघा में प्रवेश हेतु अप्रार्थी सं0 1 के चक 1 केवाईएम ए मु0नं0 17/48 के किला नं0 21 ता 23 में से 2–2 बिस्वा वांछित रास्ता निकटतम, आवश्यक आत्यंतिक है और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चक 1 केवाईएम ए मु0नं0 17/48 के किला नं0 21 ता 23 में से 2–2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी सं0 1 फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)